

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 32/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. ओमाराम पुत्र श्री धोकलराम		1. घेवरराम पुत्र श्री राणाराम
2. श्रवणराम पुत्र श्री हजारीराम सभी जातियान बावरी(चौकीदार) निवासीगण हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		2. पुन्नाराम पुत्र श्री राणाराम 3. भंवरी पुत्री श्री राणाराम 4. इन्द्रा पुत्री श्री राणाराम 5. मोरकी पुत्री श्री राणाराम 6. रेवतराम पुत्र श्री सोनाराम 7. तुलछी पुत्री श्री सोनाराम 8. अणची पुत्री श्री सोनाराम 9. सीता पुत्री श्री सोनाराम 10. समु पुत्री श्री सोनाराम सभी जातियान राईका निवासीगण हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 11. तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील कार्यालय बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 23.03.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। बार-बार आवाजे दिलायी गयी प्रार्थीगण स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। इस प्रार्थना पत्र से सम्बंधित मूल राजस्व वाद संख्या 49/2014 ओमाराम बनाम घेवरराम वगैराह अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अतः मूलवाद खारिज हो जाने से यह प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र खारीज शुमार होकर मूल राजस्व वाद संख्या 49/2014 ओमाराम बनाम घेवरराम वगैराह अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट के साथ संलग्न हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा